

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/स.स.-पं.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2020/ 339 जयपुर,दिनांक 27/2/20

:: आ दे श ::

श्री इथलेस कुमार पालीवाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लाडनू, जिला नागौर अधीनस्थ सेवा में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 29.02.2020 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री इथलेस कुमार पालीवाल, पंचायत प्रसार अधिकारी के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर को उनके पत्र क्रमांक 3501 दिनांक 14.02.2020 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनू, जिला नागौर।
5. श्री इथलेस कुमार पालीवाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लाडनू, जिला नागौर।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)